

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3593

17 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

मत्स्यपालन और डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं

3593. डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जलपाईगुड़ी जिले में मत्स्यपालन और डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई योजनाएं शुरू की हैं और यदि हां, तो आवंटित की गई निधियों और चिह्नित किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) जलपाईगुड़ी में छोटे पैमाने के डेयरी किसानों और मछुआरों के सामने आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले सहित भारत में फिश फार्मिंग और डेयरी विकास हेतु, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने मात्स्यिकी और डेयरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए देश भर में विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं जैसे प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), फिशरीज एंड एकाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (एफआईडीएफ) और मात्स्यिकी क्षेत्र की एक नई उप-योजना अर्थात् प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) एवं डेयरी क्षेत्र में डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलेपमेंट स्कीम (डीईडीएस) और नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलेपमेंट (एनपीडीडी) कार्यान्वित किया गया है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत 225.54 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 544.38 करोड़ रुपए के कुल लागत वाली परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिसमें दो वर्षों (2022-23 और 2023-24) और वर्तमान वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान पश्चिम बंगाल को 50.76 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि जारी की गई है। उपर्युक्त योजना के तहत स्वीकृत प्रमुख मात्स्यिकी गतिविधियों में मीठे पानी की फिनफिश हैचरी और ब्रूड बैंकों की स्थापना, रियरिंग और ग्रो-आउट तालाबों के निर्माण के माध्यम से जल कृषि क्षेत्रों का विस्तार, आर्द्रभूमि और जलाशयों में फिंगरलिंग का भंडारण, ओर्नामेंटल फिश रियरिंग और ब्रीडिंग इकाइयों का विकास, मनोरंजक मात्स्यिकी को बढ़ावा देना और री सर्क्युलेटरी एकाकल्चर सिस्टम (आरएस) और बायोफ्लोक इकाइयों की स्थापना शामिल है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में जलाशयों में केज स्थापना, कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट की स्थापना, फिश फीड मिलों की स्थापना, फिश कियोस्क का निर्माण और रेफ्रिजरेटेड वाहन और इंसुलेटेड परिवहन इकाइयों सहित पोस्ट-हार्वेस्ट परिवहन वाहनों का प्रावधान शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में पेटुआघाट, शंकरपुर, फ्रेजरगंज और काकद्वीप में आधुनिक फिशिंग हार्बर का विकास, मत्स्य मूल्यवर्धित उद्यमों की स्थापना और मछुआरों के लिए सुरक्षा किट और डायग्नोस्टिक(नैदानिक) मोबाइल लैब का कार्यान्वयन शामिल है। पश्चिम बंगाल के जयपालगुड़ी जिले में, पीएमएमएसवाई के तहत, 863.23 लाख रुपए की सरकारी सहायता के साथ 1518.10 लाख रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलेपमेंट (एनपीडीडी) का उद्देश्य राज्य सहकारी डेयरी संघों/जिला सहकारी दूध उत्पादक संघों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए गुणवत्ता परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चिल्लिंग सुविधा का निर्माण/सुदृढीकरण करना है। एनपीडीडी योजना के तहत, पश्चिम बंगाल में 3 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल परियोजना लागत 4.04 करोड़ लाख रुपए है, जिसमें 3.93 करोड़ रुपए का केंद्रीय अंश है और इसमें से अब तक 3.63 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

पारंपरिक मछुआरों के लाभ के लिए योजनाओं के तहत सहायता प्रदत्त सुविधाओं में शामिल हैं; मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण सहायता, मछुआरों और फिशिंग वेसल्स को बीमा कवर, पारंपरिक मछुआरों को नाव और जाल प्रदान करना, प्रशिक्षण और कौशल विकास, कोल्ड-चेन और मारकेटिंग सुविधाएं प्रदान करना, ओर्नामेंटल फिश रियरिंग इकाई को बढ़ावा देना, पेन कल्चर, परिवहन वाहनों जैसे आइस बॉक्स के साथ मोटर साइकिल, आइस बॉक्स के साथ साइकिल, आइस बॉक्स के साथ थ्री व्हीलर की खरीद एवं फिश रिटेल मार्केट और फिश कियोस्क। इसके अलावा, 2018-19 से, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा को मछुआरों और मत्स्य किसानों तक विस्तार कर पहुंचाया है ताकि उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में उन्हें सहायता प्रदान की जा सके। पश्चिम बंगाल राज्य में मछुआरों और मत्स्य किसानों को 15-11-2024 तक 1490 केसीसी कार्ड स्वीकृत किए गए हैं।
